भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1331

31.07.2025 **को उत्तर के लिए**

8500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैले वनों की कटाई

1331. श्री हारिस बीरानः

श्रीमती रंजीत रंजनः

श्री दिग्विजय सिंहः

श्री नीरज डांगीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मात्र छह महीने में 8500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैले वनों को साफ करने की मंजूरी दी है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2021 से वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत राज्य-वार और परियोजना-वार कुल कितना वन क्षेत्र वनेतर उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया है;

(ग) इस अवधि के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों और पाँचवीं अनुसूची के जिलों में वन भूमि के परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 से स्वीकृत प्रतिपूरक वनीकरण परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और-संबंधित वनीकरण क्षेत्र कितना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.06.2025 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत 12,324.32 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है।

इसके अलावा दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2025 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने विभिन्न गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए 78,135.84 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

'भूमि' राज्य का विषय है। वन क्षेत्र और उनकी कानूनी सीमाओं का निर्धारण और रखरखाव संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। तदनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों और पाँचवीं अनुसूची में शामिल जिलों में वन भूमि के अपवर्तन से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा इस मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) प्रतिपूरक वनीकरण निधि का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न वनेत्तर उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के कारण वन और इसकी पारिस्थितिक सेवाओं के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

"8500 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर फैले वनों की कटाई" के संबंध में श्री हारिस बीरान, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री दिग्विजय सिंह और श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1331 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

श्रेणी : सभी श्रेणियाँ		**अवधि के दौरान: 01.04.2021 से 31.03.2025 तक**
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
1	अंडमान एवं निकोबार	104.14
2	आंध्र प्रदेश	1020.63
3	अरुणाचल प्रदेश	6561.47
4	असम	722.24
5	बिहार	631.31
6	चंडीगढ़	0.29
7	छत्तीसगढ	4092.01
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	53.36
9	दिल्ली	118.59
10	गोवा	182.91
11	गुजरात	4959.00
12	हरियाणा	1035.08
13	हिमाचल प्रदेश	1429.84
14	जम्मू एवं कश्मीर	868.19
15	झारखंड	4431.91
16	कर्नाटक	1385.38
17	केरल	174.95
18	लद्दाख	0.94
19	मध्य प्रदेश	17393.65
20	महाराष्ट्र	3603.62
21	मणिपुर	1720.11
22	मेघालय	33.46
23	मिजोरम	433.99
24	ओडिशा	11033.08
25	पंजाब	1600.31
26	राजस्थान	4180.06
27	सिक्किम	507.87
28	तमिलनाडु	98.38
29	तेलंगाना	670.86
30	त्रिपुरा	741.97
31	उत्तर प्रदेश	5480.43
32	उत्तराखंड	2365.28
33	पश्चिम बंगाल	500.53
कुल योग		**78135.84**

स्रोत: https://parivesh.nic.in

*****

अनुबंध-II

"8500 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर फैले वनों की कटाई" के संबंध में श्री हारिस बीरान, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री दिग्विजय सिंह और श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1331 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)	लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)	लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)	लक्ष्य (हेक्टेयर में)	उपलब्धि (हेक्टेयर में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	56.16	36.56	181.47	95.47	237.63	132.03
2	आंध्र प्रदेश	1326.32	485.11	2276.75	708.54	1827.75	311.12	8663.46	3471.88
3	अरुणाचल प्रदेश	12194	11608.44	4459.16	4458.67	3001.34	2858.42	21478.03	20719.46
4	असम	196.1	114.5	467.45	0	528.27	382.56	1191.82	1149.64
5	बिहार	384	0	0	0	1334.09	1321.09	3568.68	3171.67
6	चंडीगढ़	0.79	0.79	0.14	0.18	-	-	0.93	0.97
7	छत्तीसगढ	1404.687	1541.69	460.47	465.2	770.242	467.74	7941.59	7039.23
8	दिल्ली	24.49	23.02	71.95	72.06	45.17	37.34	190.91	179.96
9	गोवा	200	200	420	299	470	470	1330.00	1209.00
10	गुजरात	3646.72	3646.72	4584.53	4584.53	2004.94	2004.94	14103.32	14103.32
11	हरियाणा	1913.2961	1870.22	2306.12	1608.86	शून्य	शून्य	5803.08	5012.91
12	हिमाचल प्रदेश	1032	899	973	885	1315	888	4913.00	4073.00
13	जम्मू एवं कश्मीर	322	306	1499.54	1360.71	272.43	262.08	8097.97	6434.79
14	झारखंड	3713.52	3324.86	6327.687	3202.83	3,807.74	2789.84	21443.95	15739.27
15	कर्नाटक	516.81	522.77	715.01	715.01	718.4	720.29	2775.12	2761.26
16	केरल	60.632	42.84	151.5	0	170.3	117.26	433.06	171.80
17	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	21107.68	21746.82
18	मध्य प्रदेश	3924.1	3585.66	16365	3457.22	1416	5301.66	5730.62	4316.74
19	महाराष्ट्र	438.18	218.351	246.405	182.27	546.384	544.384	1759.84	666.94
20	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	514.76	114.56
21	मेघालय	शून्य	शून्य	367.89	114.56	146.87	0	2046.74	2570.24
22	मिजोरम	1303.78	1303.78	508.96	29.96	शून्य	शून्य	0	0
23	ओडिशा	3610.19	3501.45	6130.81	4632.86	1962.91	1628.66	19540.451	16964.78
24	पंजाब	692.57	644.995	864.411	800.38	993.873	940.38	4471.94	4019.72
25	राजस्थान	1757.52	808.52	700.352	444.79	2003.36	1365.4	9862.03	7377.15
26	सिक्किम	183.98	183.98	94.67	94.67	104.06	53.19	660.39	609.52
27	तमिलनाडु	0	0	146.38	82.57	113.82	0	262.39	84.76
28	तेलंगाना	3330.77	2490.07	2799.41	2052.71	918.771	551.12	17961.54	13686.57
29	त्रिपुरा	445.54	391.86	685.14	566.4	810.29	669.85	2608.11	2295.23
30	उत्तर प्रदेश	1103.64	1091.43	1631.9	1604.68	1414.99	1288.6	6096.70	5877.16
31	उत्तराखंड	2817.93	2738.62	2415	2448.71	2200	1697.24	13682.93	11812.89
32	पश्चिम बंगाल	782.89	282.03	397.54	106.17	321.65	139.92	1911.74	748.25

*****